देश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी

▶ हर्निया के मरीज का सफल ऑपरेशन हुआ

शिवपुरी, 17 मार्च. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में स्वास्थ्य सेवा मिशन और रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान पहली बार हुई रोबोटिक सर्जरी का अवलोकन किया. यह अवसर आधुनिक चिकित्सा तकनीक और जनसेवा आधारित स्वास्थ्य पहल के समन्वय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ.

यह शिवपुरी जिले में पहली बार रोबोटिक सर्जरी है. साथ ही, देश में किसी स्वास्थ्य शिविर के दौरान इस प्रकार की अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी भी पहली बार हुई है, जिससे चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा मिली है.

स्वास्थ्य शिविर में उपचार के लिए आए एक हर्निया मरीज का ऑपरेशन प्रसिद्ध सर्जन डॉ. मेहक भंडारी और उनकी टीम द्वारा किया गया. अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक की सहायता से इस सर्जरी को अत्यंत सटीकता और दक्षता के साथ संपन्न किया गया. इस प्रक्रिया ने यह प्रदर्शित किया कि मिनिमली इनवेसिव रोबोटिक सर्जरी मरीजों के बेहतर उपचार, कम दर्द और शीघ्र स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

सिंधिया ने किया सर्जरी प्रक्रिया का अवलोकन

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सर्जरी की पूरी प्रक्रिया को निकट से देखा और चिकित्सकों की टीम की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की विश्वस्तरीय चिकित्सा तकनीक को स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

साइबर ठगों ने खातों से उड़ाई 6 लाख से अधिक की रकम

जबलपुर. साइबर ठगों ने दो युवकों को ठगी का शिकार बनाया और उनके खातों से 6 लाख से अधिक की रकम उड़ा दी. अधारताल पुलिस ने दोनों ही मामलों में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक विकास कुशवाहा 26 वर्ष निवासी जागृतिनगर अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ 1 लाख 12 हजार 680 रूपये की आनलाईन वित्तीय धोखाधड़ी हुई है किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी और का रूप धारण कर उसे धोखा देकर 1 लाख 12 हजार 680 रूपये लिए है. इसी प्रकार प्रशांत असाटी 31 वर्ष निवासी अमखेरा रोड़ कुदवारी अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ 5 लाख 58 हजार 28 रूपये की आनलाईन वित्तीय धोखाधड़ी हुई है किसी व्यक्ति ने उसके खाते से 5 लाख 58 हजार 28 रूपये ट्रांसफर कर लिए है.

सड़क हादसे : प्रदेश में रोज 41 मौत

जबलपुर, 17 मार्च. प्रदेश में सडक दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 41 मौत होने का आंकडा प्रस्तुत करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि सडक दुर्घटना सिर्फ चालको की गलती के कारण नही बल्कि खराब सड़क इंजीनियरिंग, जानलेवा गड्ढों, अवैध अतिक्रमण और बिना उचित ट्रेनिंग के बांटे गए ड्राइविंग लाइसेंस के कारण होती है. हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनवेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.

जबलपुर निवासी आशीष शिवहरे की तरफ से दायर की गयी याचिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए देते हुए कहा गया था कि मध्य प्रदेश में हर दिन लगभग 41 व्यक्ति की मौत होती है. देश में रोजाना साढे तीन सौ से अधिक व्यक्तियों की मौत होती है. प्रशासन हर दुर्घटना को सिर्फ चालक की गलती बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता. दुर्घटनाएं अक्सर खराब सड़क इंजीनियरिंग, जानलेवा गड्ढों, अवैध अतिक्रमण और बिना उचित ट्रेनिंग के बांटे गए ड्राइविंग लाइसेंस के कारण होती है. याचिका में राहत चाही गयी थी कि पुलिस और नगरीय प्रशासन की एकीकृत जवाबदेही तय की जाये. इंजीनियरों और ठेकेदारों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 का सख्ती से पालन सुनिष्चित किया जाये. खराब सड़क डिजाइन या गड्ढों के कारण किसी की जान जाती है, तो संबंधित इंजीनियरों और ठेकेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज हो. खराब सड़कों पर टोल वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

लाइसेंसिंग सिस्टम में सुधार करते हुए सभी मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए एक डिजिटल री-ट्रेनिंग एप के माध्यम से नियमो की जानकारी दी जाये. दोपहिया वाहनों में हेलमेट चोरी की समस्या से बचने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन-बिल्ट हेलमेट लॉकर अनिवार्य किये जाये. ऐसा रोड सेफ्टी ऐप बने जहां आम जनता खतरनाक सड़कों, ब्लैक स्पॉट्स और गड्ढों की फोटो सहित सीधी शिकायत कर सके और उस पर वैज्ञानिक जांच हो. हाईवे पर ढाबों के पास अवैध पार्किंग, शराब की बिक्री और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्थानीय थाना प्रभारी और प्रशासन की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए.

एक नजर में

घर से 5499 लीटर अवैध शराब जब्त

जबलपुर. जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में ग्राम गुबराकलां में बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई. कंट्रोल रूम प्रभारी परमानंद कोरचे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान गीताबाई दुबे के आवास से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की गई. टीम ने यहां से 345 पेटी देशी मदिरा मसाला और 266 पेटी देशी मदिरा प्लेन जब्त की, जिसकी कुल मात्रा 5499 बल्क लीटर बताई गई है.

जर्जर स्कूल को स्थानांतरित करने की याचिका खारिज

जबलपुर. अनूपपुर जिले की बिजुरी नगर पालिका अंतर्गत स्कूल को गिरकार मंगल भवन बनाये जाने का आरोप लगाने वाली याचिका वापस लेने की प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई दौरान अनावदेक नगर पालिका की ओर से कहा गया कि जिस स्कूल को गिराकर मंगल भवन बनाये जाने का दावा किया जा रहा है, वह स्कूल जर्जर हो चुका था और उसे दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया. दरअसल यह जनहित याचिका बिजुरी क्षेत्र में रहने वाले विजय कुमार गुप्ता ने दायर की थी. जिसमें आरोप था कि नगर पालिका बिजुरी द्वारा पुराने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को गिरकर उस पर मंगल भवन सामुदायिक भवन एवं चौपाटी के निर्माण करने की कार्यवाही की जा रहीं है. जिससे कि विद्यालय परिसर में स्थित खेल के मैदान का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है. अत: जनहित याचिका के रूप में प्रार्थना की गई थी की मंगल भवन का निर्माण एवं चौपाटी का निर्माण पर रोक लगाई जाए. वहीं मामलें में अनावेदक नगर पालिका बिजुरी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पैरवी की. जिन्होंने दलील दी कि उक्त मंगल भवन मुख्यमंत्री नगरी अधो-संरचना निर्माण योजना के अंतर्गत बनाए जा रहा ह, जो की आयुक्त नगर प्रशासन एवं विकास भोपाल के द्वारा स्वीकृत है. साथ ही नगर पालिका परिषद बिजुरी के द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पारित कर पूर्व में जो कन्या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, वह क्षतिग्रस्त हो गया था. जिसे कलेक्टर के आदेश द्वारा गिराया गया एवं उपरोक्त स्कूल को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है.

तेज रफ्तार कार ने दो युवकों को कुचला, मौत

मुरैना. अंबाह-पोरसा मार्ग पर पाली की ताल के पास एक अनियंत्रित अर्टिगा कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए भिजवाया. सनाईपुरा निवासी मनमोहन सखवार अपने भतीजे अभिषेक और नरोत्तम के साथ अंबाह अस्पताल से रैबीज का इंजेक्शन लगवाकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान पाली की ताल के पास तेज रफ्तार कार ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रही दूसरी बाइक से जा टकराई.

संविदा या गेस्ट फैकल्टी पर स्थाई दर्जा का अधिकार नहीं

जबलपुर, 17 मार्च. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी के नियमितीकरण को लेकर दायर एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में स्थायी नियुक्ति केवल नियमों और वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही संभव है. लंबे समय तक संविदा या गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने से स्वत: नियमितीकरण या स्थाई दर्जा पाने का अधिकार नहीं बनता है. उक्त मत के साथ जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने प्रदेश भर के 291 गेस्ट फैकल्टीज (सहायक प्राध्यापकों, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स और लाइब्रेरियन) की याचिकाएं खारिज कर दीं. दरअसल पन्ना निवासी कमल प्रताप सिंह व 290 अन्य की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से स्थायी किया जाए. सभी सेवा लाभ दिए जाएं. साथ ही यह मांग भी की गई थी कि राज्य सरकार द्वारा जारी नई भर्ती विज्ञापन को निरस्त किया जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेजों में कार्यरत हैं. वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं और नियमित शिक्षकों की तरह ही पढ़ाई, परीक्षा, मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्य करते हैं.

फोरलेन बना रणभूमि, कलेक्ट्रेट से पहले रोके गए करणी सैनिक

नवभारत न्यूज

रतलाम। कलेक्ट्रेट घेराव के लिए आ रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने महू-नीमच फोरलेन पर डोसीगांव के पास रोक दिया। चिलचिलाती धूप में महिलाएं और बच्चे सहित आंदोलनकारी घंटों सड़क पर डटे रहे।

करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने मंगलवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ 11 सूत्रीय मांग को लेकर रतलाम आने की घोषणा की थी। इसके बाद करणी सैनिक जिनमें महिलाएं, पुरुष शामिल रहे वे रतलाम पंहुचे। इसके पहले ही प्रशासन और पुलिस ने शहर के सभी एंट्री पॉइंट और महू-नीमच फोरलेन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।

करणी सेना के आंदोलन के चलते प्रशासन और पुलिस ने आंदोलनकारियों को शहर में आने से ही रोक दिया। मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए करणी सेना के सदस्य प्रमुख जीवन सिंह के नेतृत्व में आ रहे थे, जिन्हें महू-नीमच रोड पर डोसीगांव के पहले ही रोक दिया गया। इसके लिए प्रशासन ने पूरे फोरलेन पर ही बेरिकेंटिंग करवा दी। इसके आगे शहर की ओर रास्तों पर भी ट्रक और ट्रैक्टर खड़े करवा दिए।

▶ चिलचिलाती धूप में महिलाएं और बच्चे सहित आंदोलनकारी घंटों सड़क पर डटे रहे

इसके चलते वहीं कड़ी धूप में सड़क पर घंटों आंदोलन चलता रहा, जिसमें करणी सैनिकों ने बाहर ही रोकने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। विशेष रूप से जावरा रोड स्थित डोसीगांव के पहले ही बेरीकेट लगाकर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। इसके विरोध में करणी सैनिक महिलाओं ने बैरिकेड्स हटा कर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया।उल्लेखनीय है कि सात दिन पहले जावरा ब्लॉक में झालवा-कलालिया रोड निर्माण में लगे दो डंपरों को खनिज विभाग ने अवैध परिवहन के आरोप में जब्त किया था। ये दोनों डंपर ठेकेदार आयुष शर्मा के हैं, जिन्हें जीवनसिंह शेरपुर का समर्थक बताया जाता है। जब्ती के विरोध में शेरपुर ने समर्थकों के साथ रिंगनोद थाने में गादी-बिस्तर लगाकर रात भर धरना दिया था।

शेरपुर का आरोप था कि खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन के नाम पर खाली डंपरों को पकड़कर कार्रवाई की है, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट घेराव की घोषणा की थी। प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष जिले के जनहित से जुड़े 11 मुद्दे रखे हैं।

नारेबाजी करते रहे आंदोलनकारी

मौके पर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, एसडीएम आर्ची हरित, एसडीओपी किशोर पाटनवाला, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, टीआई गायत्री सोनी, सत्येंद्र रघुवंशी सहित भारी मात्रा में पुलिस बल, कर्मचारी आदि मौजूद थे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर ज्ञापन लेने की कोशिश की, लेकिन श्री शेरपुर कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान आंदोलनकारी नारेबाजी करते रहे।

हमें रोकना गलत : जीवनसिंह

इस दौरान प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि कलेक्टर व प्रशासन हमें रोक कर गलत कर रहा है। हम जनता की ही मांग जनसुनवाई में कलेक्टर से मिलकर रखना चाहते थे। कलेक्टर हमारे जिले की प्रमुख है और उनसे मिल सकना, यह हम आम व्यक्ति का अधिकार है। हम केवल जनता की समस्या बताना चाहते है, लेकिन हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान अन्य कई करणी सैनिकों ने भी विरोध जताते हुए कहा कि शांतिपूर्वक किए जा रहे आंदोलनों को दबाने की कोशिश करके सरकार तानाशाही कर रही है।

जूनियर इंजीनियर 20 हजार घूस लेते धराया

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

ग्वालियर, 17 मार्च. ईओडब्ल्यू ने जेई एमपीईबी के लिये 20 हजार की घूस लेते कम्प्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा है. जेई किसान से खेत में डी. पी. कनेक्शन लगवाने के लिये 30 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा था. मुख्य आरोपी जेई कार्यवाही की भनक लगते मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है.

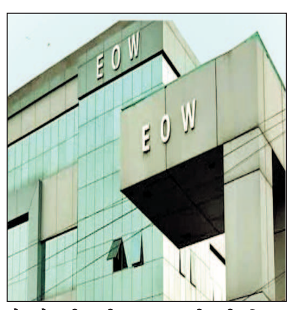

जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह रावत पुत्र कुम्मेर सिंह रावत निवासी ग्राम दौनी ब्लॉक तहसील नरवर जिला शिवपुरी द्वारा ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू को एक शिकायत की गयी थी कि उसके पिता कुम्मेर सिंह रावत के नाम से ग्राम दौनी में कृषि भूमि पर ठेकेदार के माध्यम से दो डी. पी. लगवायी थी जिस पर विद्युत कनेक्शन के एवज में सुरजीत मिश्रा जूनियर इंजीनियर म.प्र.वि.वि.कं. करैरा जिला शिवपुरी द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई.

शिकायत की पुष्टि के लिये वॉइस रिकॉर्डर के जरिए की गई. जिसके बाद ईओडब्ल्यू पुलिस ने आरोपी जेई सुरजीत मिश्रा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया.

जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. के निर्देश पर निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में एक ट्रेप दल का गठन किया गया जिसके द्वारा मंगलवार को ट्रेप दल जब करैरा कार्यालय पहुंचा, तब सुरजीत मिश्रा ने फोन पर रिश्वत की राशि अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाह को देने के लिये कहा. आवेदक द्वारा 20 हजार रूपये की राशि प्रवीण कुशवाह को देते ही टीम ने उसे दबोच लिया. ट्रेप दल ने रिश्वत की राशि जब्त करली है और कॅप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्य आरोपी सुरजीत मिश्रा जेई कार्यवाही की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है.

ब्यॉज सहित ग्रेच्युटी का करो भुगतान

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि जब याचिकाकर्ता के विरुद्ध रिकवरी आदेश निरस्त हो चुका था, तो सरकार को उसे भुगतान कर देना चाहिए था. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को 6 फीसदी ब्याज के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करें. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी है. जबलपुर निवासी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक सुमन तिवारी की ओर से अधिवक्ता एनके तिवारी एवं गर्वित तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया.

शिविर ▶ केंद्रीय संचार मंत्री ने 5260 विकलांगजनों को किए 22,475 सहायक उपकरण

शिवपुरी में सिंधिया ने किया स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ

शिवपुरी, 17 मार्च. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया. यह शिविर माधवराव सिंधिया सेवा स्वास्थ्य मिशन और रोटरी रीजनल मेडिकल मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है. इस अवसर पर 5260 दिव्यांगजनों को कुल 22,475 सहायक उपकरण वितरित किए गए.

केंद्रीय मंत्री ने इनमें से 786 दिव्यांगजनों को स्वयं अपने हाथों से उपकरण प्रदान किए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की यह परंपरा उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया द्वारा स्थापित की गई थी.उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए बड़े शहरों से डॉक्टरों को भेजने की परिकल्पना की थी. सिंधिया ने चिकित्सकों को 'जानदाता' बताते हुए कहा कि वे जीवन बचाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शिक्षक ज्ञानदाता और किसान अन्नदाता होते हैं.

यह स्वास्थ्य शिविर आज 17 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा. इसमें एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और मेदांता जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. शिविर में आधुनिक मशीनों से सुसज्जित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 25 हजार ओपीडी और 500 से 700 ऑपरेशन करने की व्यवस्था है.

मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास वि. / यां. संभाग बडवानी (म. प्र.)

दूरभाष : 07290-224946 ई-मेल :-eendenmbarwani@gmail.com
निविदा आमंत्रण सूचना वास्ते प्रकाशन

निविदा सूचना क्रं. 162 से 166 / व.ले.लि. / 2025-26 दिनांक 13/03/2026

निम्न कार्य की ऑन लाइन निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर जारी की जा रही है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

स. क्र.	ई.निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (रू. में)	धरोवर राशि (रू. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदाकार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_NVDA_490352_1	अपरवेदा बाँध परियोजना जिला खरगोन स्थित 33/0.4 के.व्ही. सब स्टेशन का सुधार एव मरम्मत कार्य मय सामग्री प्रदायगी, कनेक्षन, टेस्टिंग एवं लेबर चार्जेस इत्यादि सहित।	209005.00 (रू. दो लाख नौ हजार पांच) मात्र	4180.00 (रू. चार हजार एक सौ अस्सी) मात्र	2,000.00 (रू. दो हजार) मात्र	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली मे पंजीकृत एवं "ए" श्रेणी का विद्युत लाईसेंस	15 दिवस (अनुबंध की तिथि से)
2	2026_NVDA_490364_1	एन. व्ही. डी. ए. (इंदिरा सागर परियोजना) कालोनी बेड़िया में बाह्य एवं आंतरिक विद्युतिकरण व्यवस्था का सुधार एवं मरम्मत कार्य मय सामग्री प्रदायगी , टेस्टिंग एवं लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	211069.00 (रू. दो लाख ग्यारह हजार उनहत्तर) मात्र	4221.00 (रू. चार हजार दो सौ इक्कीस) मात्र	2,000.00 (रू. दो हजार) मात्र	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली मे पंजीकृत एवं "ए" श्रेणी का विद्युत लाईसेंस	15 दिवस (अनुबंध की तिथि से)
3	2026_NVDA_490377_1	एन. व्ही. डी. ए. (इंदिरा सागर परियोजना) कालोनी मोहना में बाह्य एवं आंतरिक जल प्रदाय व्यवस्था का सुधार एवं मरम्मत कार्य मय सामग्री प्रदायगी , टेस्टिंग एवं लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	199805.00 (रू. एक लाख निन्यानवे हजार आठ सौ पांच) मात्र	3996.00 (रू. तीन हजार नौ सौ छियानवे) मात्र	1,000.00 (रू. एक हजार) मात्र	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली मे पंजीकृत	15 दिवस (अनुबंध की तिथि से)
4	2026_NVDA_490395_1	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास स्थल बोरलाय-।, दतवाड़ा, मोहीपूरा केशरपुरा, लखनगॉव, ग्वला-2, तक्यापुर खेड़ी तहसील ठीकरी एवं बड़वानी जिला बड़वानी में सड़क बत्ती प्रकाश व्यवस्था के सुधार एवं मरम्मत कार्य मय सामग्री, प्रदायगी, ट्रान्सपोर्टेशन , टेस्टिंग, लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	212637.00 (रू. दो लाख बारह हजार छः सौ सैतीस) मात्र	4253.00 (रू. चार हजार दो सौ तिरेपन) मात्र	2,000.00 (रू. दो हजार) मात्र	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली मे पंजीकृत एवं "ए" श्रेणी का विद्युत लाईसेंस	15 दिवस (अनुबंध की तिथि से)
5	2026_NVDA_490407_1	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर (आर.डी. 95.690 कि.मी.) पर स्थित सी.आर. गेट (Size 5.4m x 4.2m x 3m) का सुधार एवं सर्विसिंग का कार्य मय सामग्री प्रदायगी , टेस्टिंग एवं लेबर चार्जेस इत्यादि सहित पूर्ण कार्य।	386569.00 (रू. तीन लाख छियासी हजार पांच सौ उनहत्तर) मात्र	7731.00 (रू. सात हजार सात सौ इकतीस) मात्र	2,000.00 (रू. दो हजार) मात्र	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली मे पंजीकृत	15 दिवस (अनुबंध की तिथि से)

निविदा कार्य के प्रपत्र क्रय करने की तिथि : 06/04/2026 17:30 तक (केवल आनलाइन)
निविदा की धरोहर राशि खुलने की तिथि : 08/04/2026, 10:00 से 08/04/2026, 17:30 तक (केवल आनलाइन)
प्राइज बीड खुलने की तिथि : 08/04/2026, 10:00 से 08/04/2026, 17:30 तक (केवल आनलाइन)

निविदा प्रपत्र को उपरोक्त वेबसाइट पर केवल ऑन लाइन क्रय किया जा सकता है। ऑनलाइन पर भुगतान डेबिट / कैश कार्ड या इन्टरनेट बैंकिंग अकाउण्ट्स के माध्यम से किया जा सकता हैं। आवश्यक होने पर निविदा में अन्य परिवर्तन की सूचना अलग से प्रकाशित नही की जावेगी, ऑनलाईन के माध्यम ही कॉरिजेंडम किये जायेगें। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें।

G27516-25

कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास वि. / यॉ. संभाग बड़वानी (म.प्र.)